

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली
जमानत प्रार्थनापत्र सं० /19

आदेश

27.05.19

प्रार्थी/अभियुक्त रियासत की ओर से अ०सं० 375/19 धारा 323, 380/511 भा०दं०सं० थाना इज्जतनगर जिला बरेली के मामले में जमानत प्रार्थनापत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर वादी के घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास करते हुये पकड़े जाने एवं अभियुक्त द्वारा मौके पर वादी के भाई के सिर पर रॉड से प्रहार कर चोट कारित करने का अभियोग है। थाने से प्राप्त आख्या में प्रार्थी/अभियुक्त का एक अन्य चोरी के मामले में संलिप्त होने का आपराधिक इतिहास दर्शित किया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गैर जमानती है। मामले की प्रकृति को देखते हुये जमानत हेतु आधार पर्याप्त नहीं हैं। अतः प्रार्थनापत्र जमानत निरस्त किया जाता है।

प्र०सी०जे०एम०
बरेली